अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापकों हेतु दिशा निर्देश

1– शासनादेश संख्या–2024/68–5–2019–810/2017 टी0सी0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थानुसार–

क– ऐसे नियमित पुरूष शिक्षक जो अपने तैनाती/कार्यरत जनपद में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा एवं महिला शिक्षिकाएं जो अपने तैनाती/कार्यरत जनपद में न्यूनतम 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुकी हो एवं उनके विरूद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्यवाही में उन्हें दण्डित न किया गया हो, वे अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आवेदन करने के पात्र होंगे।

ख– दिव्यांग पुरूष/महिला शिक्षक को कार्यरत जनपद में क्रमशः 03 वर्ष एवं 01 वर्ष की अनिवार्यता सेवावधि से छूट रहेगी। ऐसे दिव्यांग पुरूष/महिला शिक्षक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

ग– ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो, वे ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

घ– जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जायेगा। अतएव ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

2– आवेदन हेतु 03 वर्ष की न्यूनतम अर्हता की तिथि शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु विज्ञापन निर्गत किये जाने की तिथि दिनांक 20.12.2019 से मानी जायेगी।

3– **अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ही किये जायेंगे।**

4– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रकियानुसार भरे जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय विकलांगता, पति/पत्नी के सेवा में होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र, असाध्य रोग, सैन्य बल में कार्यरत है के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र को अपलोड किया जायेगा। एक बार आवेदन पत्र Final Submit करने के पूर्व भरी गयी प्रविष्टियों को जांच करते हुए यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को ओ0टी0पी0 के माध्यम से अन्तिम रूप से पूर्ण कर प्रिन्ट लेना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को ओ0टी0पी0 के माध्यम से Final Submit करने के उपरान्त किसी प्रकार का संशोधन पुनः संभव नही होगा।

5– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिका द्वारा समस्त सम्बन्धित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 20.01.2020 तक कार्यालय समयावधि में जमा कराया जायेगा।

6– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रों तथा सम्बन्धित साक्ष्यों की जांच हेतु **दिनांक 21.01.2020 से 25.01.2020** के मध्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउन्सिलिंग का आयोजन कराया जायेगा जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र तथा अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी। उक्त तिथि को सभी

Scanned by CamScanner

अध्यापक/अध्यापिकाओं से परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये ज्येष्ठता सम्बन्धी प्रारूप पर शपथ पत्र भी भरवाया जायेगा।

7– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन जनपद में स्थानान्तरित होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली–1981 के नियम 22(2) के अनुरूप किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक द्वारा स्थानान्तरित जनपद में अपनी ज्येष्ठता का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

8– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरणरा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगें मैनुअल आवेदन पत्र (यथा– रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

9– काउन्सिलिंग के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। केवल सत्यापित आवेदन पत्रों के आधार पर ही अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

10– राज्य सरकार द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दावों/वरियता हेतु उपलब्ध कराये गये सभी प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित निर्गत किये जाने वाले प्राधिकारी एवं संस्थान से कराया जायेगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को सेवा से बर्खास्त करते हुए उसके विरूद्ध एवं फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख निर्गत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

11– अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण हेतु अपनी इच्छानुसार किन्हीं पॉच जनपदों का विकल्प प्रस्तुत किया जाना होगा, यदि अध्यापक चाहे तो किसी भी एक जनपद का विकल्प भरकर शेष अन्य जनपदों का विकल्प नहीं भरते हुए आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पूर्ण कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दिये गये एक ही जनपद के विकल्प में रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। अध्यापक द्वारा उसके उपरान्त अन्य किसी जनपद में स्थानान्तरण की मांग नहीं की जायेगी।

12– Final Submit करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार किया जा पाना संभव नहीं होगा। Final Submit करने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गयी किसी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा आवेदनोपरान्त आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

13– अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी समस्या हेतु बेसिक शिक्षा परिषद की ईमेल आई0डी0 पर basicinterdistrict1920@gmail.com पर अपनी समस्या का उल्लेख किया जा सकता है।

14– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक, जिनका स्थानान्तरण हो चुका है, पुनः ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। परन्तु यह प्रावधान ऐसे अध्यापकों पर, जोकि पूर्व में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके है परन्तु असफल रहे हैं/भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/अर्द्ध सैनिक बलों यथा, CRPF/CISF/SSB/ASSAM RIFLES/ITBP/NSG/BSF/दिव्यांगों/असाध्य रोगी तथा एकल माता–पिता (Single Parent) से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

15– किसी भी विद्यालय के बन्द/एकल होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक उस विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था न हो जाये।

16– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उनका स्थानान्तरण स्वतः निरस्त हो जायेगा।

17– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निर्गत शासनादेश में विस्तृत निर्देश, नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में शासनादेश/सामान्य दिशा निर्देशों का गहनतापूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त ही अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना अपेक्षित है।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया हेतु समय सारिणी

1	अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	20.01.2020
2	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित साक्ष्यों सहित आवेदन पत्र की छायाप्रति जमा करने की अन्तिम तिथि	20.01.2020 तक कार्यालय समयावधि में
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु काउन्सिलिंग का आयोजन	21.01.2020 से 25.01.2020 के मध्य
4	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों का परीक्षण/सत्यापन	21.01.2020 से 05.02.2020 तक
5	दावे/आपत्तियों की प्राप्ति/निस्तारण	06.02.2020 से 20.02.2020 तक
6	अन्तिम सूची का प्रकाशन	15.03.2020

उप सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

Scanned by CamScanner